संख्या-802/2018/1238/22-2-2018-17(561)/2017

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2018***

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुकई पासी पुत्र श्री साधूराम निवासी जनपद-बाराबंकी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25473/प्रोबे0अनु0(2)-199/सला0 समिति/(एम0-09.07.2018) दिनांक-17.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुकई पासी पुत्र श्री साधूराम**,** जो ग्राम-चौधरियान, थाना-दरियाबाद, जनपद-बाराबंकी हालपता-ग्राम-रामपुर, थाना-सुमेरगंज, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बन्दी ने पडोसी अनीश गद्दी से पत्नी के चाल-चलन को लेकर हुए विवाद में दिनांक 14-03-1999 को सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-430/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-30), बाराबंकी के आदेश दिनांक 16.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.06.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.05.2018 तक 16 वर्ष 09 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 04 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी के छूटने पर समाज में बुरा असर पडेगा, बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी का नहीं होने तथा दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। बन्दी के सम्बन्धित मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की अपील में मा0 उच्च न्यायलाय द्वारा पारित आदेश/निर्णय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 05.06.2017 के पैरा-19 व 20 में वर्णित न्यूनतम 14 वर्ष सजा कट जाने पर परिहार दिये जाने के अभिमत के साथ सहमति प्रदान की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी की आयु-50 वर्ष लगभग है, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने, बन्दी के अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुकई पासी पुत्र श्री साधूराम को उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर- 198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनलरोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका सं0-1182/2018 सुकई पासी बनाम श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, गृह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 के दृष्टिगत एवं उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुकई पासी (बन्दी संख्या-15082) पुत्र श्री साधूराम निवासी जनपद-बाराबंकी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-802/2018/1238/(1)/22-2-2018 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बराबंकी।

2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in